मु० नम्बर.....किस्म..... .....उनवान..... .....किस्म.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन न्यायालय

दिनांक	फर्द अहकाम
18/11/24	अकस्मात उपस्थित/पीठासीन अधिकारी [illegible] है। मातानुसार दिनांक.....को पेश हो। 17-2-25
17/2/25	पत्रावली पेश हुई अकस्मात उपस्थित. पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते.....स्थगन..... ..... दिनांक 24-2-25 को पेश हो।
24/2/25	पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अत. पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 7-3-25 को पेश हो।
7/3/25	पत्रावली पेश हुई। शाखल व शाखल वकील उप० नहीं। प्रकरण में बार-बार शाखल व शाखल वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने जाने के बावजूद शाखल व शाखल वकील कक्ष में मौजूद नहीं ले रहे हैं। अतः मु० नं० 127/15 T.I रामेश्वर बनाम धर्मसिंह अवैध बापसी व अवैध दखली में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर में कमल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:53:59 IST
Reason: SelfAttested